बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

17 संकल्प

विषयः— बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गो के लिए) अधिनियम–1991 की पिछड़े वर्गो की अनुसूची–2 के कमांक–20 पर बनिया जाति की उप जाति के रूप में कोष्टक में शामिल सिन्दुरिया बनिया जाति को वहाँ से विलोपित कर अत्यन्त पिछड़े वर्गो की सूची (अनुसूची–1) में सम्मिलित करने के संबंध में।

राज्य सरकार ने बिहार अधिनियम–12, 1993– पिछड़े वर्गो के लिए राज्य आयोग अधिनियम–1993 की धारा–3 में प्रदत्त शक्तियों के अधीन पिछड़े वर्गो के लिए राज्य आयोग का गठन किया है । आयोग को बिहार अधिनियम–3, 1992– बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गो के लिए) अधिनियम–1991 की अनुसूचि–1 एवं अनुसूची–2 में पिछड़े वर्गो के रूप में नागरिकों के किसी वर्ग को सम्मिलित करने के अनुरोध की जांच करनी है और ऐसी सूचियों में किसी वर्ग के अतिसमावेशन या अल्पसमावेशन से संबंधित शिकायतों की सुनवाई करनी है, इसके उपरान्त आयोग द्वारा सरकार को ऐसी सलाह दी जाती है, जैसा वह उचित समझे । बिहार अधिनियम –12, 1993 " पिछड़े वर्गो के लिए राज्य आयोग " की धारा–9(2) के अनुसार आयोग की एतद् संबंधी राय मानने के लिए सामान्यतया राज्य सरकार बाध्य है ।

पिछड़े वर्गो के लिए राज्य आयोग द्वारा विधिवत जांचोपरान्त अनुशंसा की गयी है कि:—

> "सिन्दुरिया बनिया जाति को जो वर्तमान में पिछड़े वर्गो की सूची(अनुसूची– 2) के कमांक–20 पर बनिया जाति की उप जाति के रूप में कोष्टक में शामिल है, उसे वहाँ से विलोपित कर अत्यन्त पिछड़े वर्गो की सूची(अनुसूची–1) के अंत में जोड़ा जाय ।"

अतः राज्य सरकार ने भली–भाँति विचार करने के उपरान्त यह निर्णय लिया है कि पिछड़े वर्गो के लिए राज्य आयोग द्वारा की गई अनुशंसा के आलोक में सिन्दुरिया बनिया जाति जो वर्तमान में बिहार अधिनियम–3, 1992, बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गो के लिए) अधिनियम–1991 की अनुसूची–2 के कमांक–20 पर बनिया जाति की उप जाति के

रूप में कोष्टक में शामिल है, वहाँ से विलोपित कर अत्यन्त पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–1) के अंत में क्रमांक–110 पर सम्मिलित किया जाय ।

उक्त समावेशन के फलस्वरूप उपर्युक्त जाति को राज्य सरकार की सेवाओं, जिला पर्षद, नगरपालिका, अर्द्ध सरकारी सेवाओं, विश्वविद्यालयों एवं लोक उपक्रमों की सेवाओं में पिछड़े वर्ग को मिलने वाले आरक्षण का लाभ मिलेगा । इसके अतिरिक्त संबंधित आरक्षित वर्ग को देय अन्य सुविधायें अनुमान्य होगी । यह लाभ अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगा ।

आदेशः– अतः यह आदेश है कि सर्व साधारण की जानकारी के लिए इसे राजकीय गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना/रांची/बिहार लोक सेवा आयोग /सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/ मुख्यमंत्री सचिवालय/बिहार विधान सभा/ बिहार विधान परिषद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी जाय

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/ (धर्मेन्द्र सिंह गंगवार)

सरकार के विशेष सचिव ।

ज्ञा0–11/वि02–पि0व0आ0–06/2000का0–129/ पटना–15,दिनांक–2–4–2002

प्रतिलिपिः– अधीक्षक , राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसकी 500 प्रतियाँ मुद्रित कर कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध करायी जाय ।

ह0/ (धर्मेन्द्र सिंह गंगवार)

सरकार के विशेष सचिव ।

ज्ञा0–11/वि02–पि0व0आ0–06/2000का0–129/ पटना–15,दिनांक–2–4–2002

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, पटना/रांची/अध्यक्ष, बिहार लोक सेवा आयोग/सदस्य–सचिव, पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, पटना/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/मुख्य मंत्री सचिवालय/अध्यक्ष , बिहार विधान सभा/अध्यक्ष, बिहार विधान परिषद / कुलपति, सभी विश्वविद्यालयों को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रत्येक विभाग/विभागाध्यक्ष से अनुरोध है कि उनके अधीन सभी कार्यालयों/स्थानीय निकायों /निगमों/लोक सेवा के उपक्रमों/पर्षदों को अविलम्ब सूचित करा दें ।

ह0/ (धर्मेन्द्र सिंह गंगवार)

सरकार के विशेष सचिव ।